न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 15 / 2022

मोहन लाल पुत्र धुड़ाराम जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— **अपीलार्थी**

बनाम

1. चम्पा देवी पत्नी रामलाल जाति नायक निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जीतराम पुत्र रामलाल
3. मनीष कुमार पुत्र चुनीलाल
4. संतोष पुत्री रामलाल
5. मनीष पुत्री चुनीलाल
6. सीमा देवी त्नी चुनीराम
7. हरीश कुमार पुत्र चुनीराम
8. सरपंच ग्राम पंचायत ओड़की

(क्रम 2 से 8:) जाति जातियान नायक निवासीयान ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–रेस्पोडेंटस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — अपीलार्थी
2. श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता — रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 24.10.2025

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट के पिता धुड़ाराम पुत्र अमराराम को भारत सरकार द्वारा चक 1 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 6 की 12.10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 25 में 12.10 बीघा रकबा 5 जीवों के आधार पर रकबा अलॉट किया गया था जिसकी खातेदारी सनद जारी होने के बाद जिला पुनर्वास अधिकारी ने सनद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 19.10.2005 को किया था, मगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का होने के बाद दिनांक 11.12.2006 को तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट ने अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर को दिनांक 27.11.2007 को, दिनांक 19.10.2005 को आदेश दिया गया था उसके अनुसार इन्तकाल करने का आदेश दिया गया था। इन्तकाल करने के बाद उपखण्ड अधिकारी के अपील पेश की, मगर उपखण्ड अधिकारी ने खारिज कर दी जिसके खिलाफ राजस्व मण्डल में निगरानी की गई जिस पर दिनांक 27.11.2006 को अपीलांट के हक [illegible] जो आज भी प्रभावी है, मगर स्थगन आदेश के बावजूद भी सरपंच द्वारा दिनांक [illegible] को रेस्पोडेंट के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी दिनांक [illegible] अपीलांट को हुई। अपीलांट को जानकारी होते ही अपीलांट ने नकल की दरख्वास्त दी [illegible] मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है, जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर पेश है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि हुकम अदालत मातहत का आदेश गैर कानूनी है। दुबारा गैर मिसल के है। नकल फैसला शामिल है ।
2. यह कि अपीलांट के पिता को बतौर नॉन क्लेमेंट के आधार पर 5 जीवों के आधार पर रकबा अलॉट किया गया था जिनका प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है। अपीलांट द्वारा कोई जमीन का बेचान नहीं किया। हालांकि सुखराम आदि द्वारा एक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर सिविल न्यायालय ने उसके खिलाफ निर्णय किया था कि बिना सनद के रकबा का बेचान नहीं किया ज सकता, इसलिए उसका बेचान ना मानकर दावा खारिज कर दिया था। यह तथ्य भी मौजूद थे, मगर अदालत माहत ने इस पर गौर नहीं करके कानूनी भूल की है, इसलिए अदालत मातहत का फैसला निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि विवादग्रस्त रकबा का मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसमें राजस्व मण्डल ने अपीलांट के हक में स्थगन आदेश जारी किया हुआ था, जबकि स्थगन आदेश आज भी विचाराधीन है, लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद भी पटवारी हल्का व सरपंच द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए इन्तकाल तस्दीक किया है जो कानूनन गलत है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। हुकम अदालत मातहत का आदेश गैर कानूनी है। दुबारा गैर मिसल के है। नकल फैसला शामिल है। यह कि मूल इन्तकाल जो किया गया था वह निरस्त हो चुका है तो कानूनन आगे इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस जारी किए ही अपीलांट को सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिवेन्यू एक्ट की धारा 125 से 133 तक की पालना नहीं की, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अन्य वजुहात बरवक्त बहस पेश किए जायेगें। अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया, इसलिए अपीलांट को इस आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट दिनांक 08.08.2022 को पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तो अपीलांट को पता चला कि उपरोक्त रकबा का इन्तकाल रेस्पोडेंट के नाम हो चुका है। पता चलते ही अपीलांट ने नकल की दरख्वास्त दी, नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है। इल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावे इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 24.08.2021 का निरस्त किया जाकर सनद के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन रिकार्ड तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह उपस्थित आये हुए।

वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि अपीलांट के पिता धुड़ाराम पुत्र अमराराम को भारत सरकार द्वारा चक 1 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 6 की 12.10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 25 में 12.10 बीघा रकबा 5 जीवों के आधार पर रकबा अलॉट किया गया था जिसकी खातेदारी सनद जारी होने के बाद जिला पुनर्वास अधिकारी ने सनद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 19.10.2005 को किया था, मगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का होने के बाद दिनांक 11.12.2006 को तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांट ने अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर को दिनांक 27.11.2007 को, दिनांक 19.10.2005 को आदेश दिया गया था उसके अनुसार इन्तकाल करने का आदेश दिया गया था। इन्तकाल करने के बाद उपखण्ड अधिकारी के अपील पेश की, मगर उपखण्ड अधिकारी ने खारिज कर दी जिसके खिलाफ [illegible] की गई जिस पर दिनांक 27.11.2006 को अपीलांट के हक में स्थगन आदेश [illegible] गया जो आज भी प्रभावी है, मगर स्थगन आदेश के बावजूद [illegible] के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार [illegible] जावे इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 24.08.2021 का निरस्त किया जाकर सनद के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। **वकील रेस्पोडेंट की जवाब बहस यह रही** [illegible] अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपील में दर्शाया गया विवादित रकबा मेरे दादा सुखाराम करनाराम आदि के द्वारा खरीदशुदा है जिसका कब्जा खरीद करने से आज तक मेरे बाप, दादाओं से लेकर आज की वर्तमान स्थिति तक हमारे पास है। मेरे दादा सुखाराम आदि के नाम से उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज रिकार्ड है, तत्पश्चात विभिन्न प्रकार से उक्त रकबा का नामान्तरकरण होता रहा है जिसमें विरास्तन,हक परित्याग आदि रहा है। अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि का रेस्पोडेन्टस के पूर्वजों को स्वयं अपने पिता व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बेचान कर दिया था। अपीलान्ट द्वारा स्वयं राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 7845/2006 में किया गया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद राजस्व उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में अपने वाद के साथ मे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जो रेस्पोडेन्ट के पक्ष में श्रीमान न्यायालय द्वारा एक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई जिसकी भी राजस्व अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की गई जिसमें बाद विचारण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 27.11.2006 को एक आरजी स्थगन आदेश पारित किया गया जो केवल मात्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर में विचाराधीन मूल दावा के साथ प्रस्तुत किये गये अन्तर्गत धारा 212 राज काश्त अधि के प्रार्थना–पत्र में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध ही था। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इसी तथ्य को गलत आधार बनाकर प्रस्तुत की गई जो काबिले निरस्ती है। यह अपील केवल मात्र रेस्पोडेन्टस को डराने धमकाने व मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने के आशय से प्रस्तुत की गई और इसका प्रचार प्रसार अपीलान्ट द्वारा यह किया जा रहा है कि रेस्पोडेन्टस की उक्त कृषि भूमि अब का अपीलान्ट के पक्ष मे हो जायेगी और अपीलान्ट उसका कब्जा ले लेवेगा। अतः निवेदन है कि उक्त अपील को निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत ओडकी पं. समिति श्रीगंगानगर द्वारा किये गये स्वीकृत प्रस्ताव दिनांक 24.08.2021 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम पंचायत ओडकी पं. समिति श्रीगंगानगर द्वारा किये गये स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार रेस्पोडेंट के नाम विरास्तन इंतकाल सही दर्ज किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 24.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner